



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-660

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 297442 दिनांक 19/05/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Pinkesh Kumar Meena S/o Vishram Singh Meena	श्री माधवदास कृष्णानी पुत्र श्री टीकम दास	60	261.28 SQ. YARD	Private	GAYATRI ENCLAVE	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना गायत्री एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 60 क्षेत्रफल 261.28 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 04.11.2009 को श्री माधवदास कृष्णानी पुत्र श्री टीकम दास के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड का मुख्त्यारनामा आम (फोटोप्रति) रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 08.11.2012 को श्री माधवदास कृष्णानी पुत्र श्री टीकम दास के द्वारा श्री रमेश चंद गुप्ता पुत्र श्री स्वं श्री राम गोपाल गुप्ता के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.04.2013 को श्री रमेश चंद गुप्ता पुत्र श्री स्वं श्री राम गोपाल गुप्ता के श्रीमती ममता पुरोहित पत्नि स्वं श्री अंशु कुमार पुरोहित के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 27.12.2023 (फोटोप्रति) को श्रीमती ममता पुरोहित पत्नि स्वं श्री अंशु कुमार पुरोहित के द्वारा श्रीमती केशव डूडी पत्नि श्री रामजी राम चौधरी के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 26.03.2025 को श्रीमती केशव डूडी पत्नि श्री रामजी राम चौधरी के द्वारा श्री पिकेश कुमार मीणा पुत्र श्री विश्राम सिंह मीणा के पक्ष में कर दिया गया। उक्त प्रकरण में एक से अधिक बैचान होने के कारण सर्वप्रथम सार्वजनिक विज्ञप्ति का
--	--	--	--	--	--	--	--	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रकाशन करवाया जाना अपेक्षित है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के मूल दस्तावेज बैंक में रहन है। अतः प्रकरण में वाद-विवाद/स्थगन, मौका रिपोर्ट, भूखण्ड सृजन एवं रहन की रिपोर्ट लिया जाना उचित होगा। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपति online सबमिट करें, अन्यथा आपति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Pinkesh Kumar Meena S/o Vishram Singh Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |